Shri Hari Vishnu Kamath: If he has resigned with effect from that date?

Mr. Speaker: Even then, we cannot decide. We cannot say whether he is really a Member at this moment; if he has resigned, what is the effect of the resignation; from what date it takes effect; whether it takes effect from a date prior to the filing of nomination. All these things are to be seen.

Shri A. K. Sen: It is difficult for us to give an answer because facts have not been ascertained fully. He says that at the time when his petition was disposed of by the Allahabad High Court, he was asking for leave to appeal to the Supreme Court and wanted to amend the prayer suitably. These facts are to be ascertained.

Mr. Speaker: Even if these facts are known, since the question has arisen . . .

Shri A. K. Sen: Yes, Sir; it is a fit case to be referred to the President.

Mr. Speaker: I think the House would agree. The Law Minister will refer it to the President. We take up the next business.

17.11 hrs.

PAKISTANI INFILTRATION IN ASSAM*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर प्रश्न की ओर मैं आज इस सदन का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं, इससे पहले भी कई बार इस सदन में और सदन के बाहर भी इस गम्भीर प्रश्न की चर्चा चली है। लेकिन जब जब यह चर्चा आई है तब तब इसको साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं केवल राष्ट्रीय दृष्टि से ही देखा गया है। आज भी जब यह प्रश्न चर्चा का विषय बना है तो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ही बना है और इसी दृष्टि से ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर फिर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे दुःख है कि जितनी सावधानी इस विषय में पहले से बरती जानी चाहिये थी, सरकार ने नहीं बरती है। सरकार इस विषय में सोती रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बेरोकटोक लाखों पाकिस्तानी भारी संख्या में आ कर असम में बस गए हैं और अब जब उनको निकालने या हटाने का प्रश्न सामने आया है तो सरकार इस बात से डरती है कि उनको एक साथ हटाने से दुनिया में हमको क्या कहा जाएगा, या संसार में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो यों कह सकता हूं कि सरकार इस समय गीता के अर्जुन की तरह से मोह में फंसी हुई है। परन्तु इसका परिणाम आगे चल कर क्या होगा। कि यह समस्या केवल असम की ही नहीं है, षडयंत्रपूर्वक या योजनाबद्ध यह जो समस्या बनी है, वह पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और भारत के अन्य सीमावर्ती जिलों की भी उसी तरह है। वहां भी संख्या लगभग इसी तरह से बढ़ी है। यह सारा षडयंत्र उसी पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है जो मुस्लिम लीग के जन्मदाता जिन्ना का स्वप्न था। असम के मैदानी जिलों में और कुछ पहाड़ी जिलों में भी जो संख्या बढ़ी है उसको मैं १९६१ की जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको ज्यों का त्यों संक्षेप में पढ़ कर सुनाये देता हूं। सामान्य वृद्धि असम के अन्दर ३४·४५ प्रतिशत हुई है और वहां मुसलमानों की वृद्धि ३८·५६ के हिसाब से हुई है। इस में कई जिले इस प्रकार के हैं जिन में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि हैरानी में डालने वाली है। मिले हुए खासी और जयन्ती हिल्ज में ८७·९३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संयुक्त मिकिर और उत्तर कछार हिल में ९६७·७ प्रतिशत, गारो हिल्ज में ५९·२४ प्रतिशत और मिजो हिल्ज में ५४·९६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। गोलपाड़ा, कामरूप, दरांग, लखीमपुर, नौगांव आदि जिलों के कई थानों में भी इसी प्रकार भयंकर रूप से मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। गोलपाड़ा के कोकराझार, सिडली और बिजली में ८७·३० प्रतिशत, नार्थ सालमारा में

*Half-an-hour Discussion.

८६.४७ प्रतिशत, गोसाईगांव और गोलोकगंज में ५६.४२ प्रतिशत तथा लखीमपुर गोलपाड़ा थाने में ४८.६० प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े हैं । कामरूप जिले में भी गोहाटी और जालुकबारी में ८६.४३ प्रतिशत, रंगिया में ८७.३८ प्रतिशत, छयगांव, बोको एण्ड पलसवरी में ६०.८८ प्रतिशत और बारापेटा में ४१.६६ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

लखीमपुर के सादिया थाने में २८५.१३ और जोपुर एण्ड मोरन में १०८.३८, उत्तर लखीमपुर बीहपुरिया, भखुआखाना में ७०.४४ प्रतिशत तिनसुखिया और बोरदूवी में ६७.२० प्रतिशत, दूमदुमा में ५१.६४ प्रतिशत और डिब्रूगढ़ में ४३.२४ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

मैं यहां आपकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि की ओर जो आश्चर्यजनक रूप में हुई है मेरा और देश का ध्यान इसलिए भी आकर्षित हुआ है कि भारतीय सीमा से लगे हुए एक गांव में एक स्थान पर पाकिस्तानी झण्डा लहराया गया था सरकार ने यदि इस गम्भीर प्रश्न को समय रहते नहीं सम्भाला तो मेरा अपना अनुमान है कि अब वह समय आने वाला है कि सीमावर्ती गांवों में ही नहीं असम के मध्य में भी जो बड़े बड़े नगर हैं, वहां भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी और सरकार स्फिथति को नहीं सम्भाल सकेगी । सामने के बैंचों पर बैठे हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि जो असम से आते हैं, उनको कहने में यदि कुछ हिचकिचाहट न हो तो वह मेरी साक्षी देंगे कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर जो यह कह रहा हूं उसमें कहां तक सचाई है? असम के पांच जिलों में, नौगांव, घुबरी, ग्वालपाड़ा, गोहाटी और मंगोल डुई कांग्रेस में भी दो तिहाई मुस्लिम सदस्य हो चुके हैं, और वहां के कांग्रेस संगठन पर भी उनका धीरे-धीरे अधिकार हो गया है ।

यह बात जिस समय सदन के समने तथा देश के सामने आई तो असम के कुछ चतुर राजनीतिज्ञ खिलाड़ियों ने यह युक्ति दी कि १९४७ में जब दंगे हुए हैं, तब उस समय कुछ मुसलमान यहां से भाग कर पाकिस्तान चले गये हैं और नेहरू लियाकत पैक्ट होने के बाद वे धीरे धीरे यहां आ कर बस गए और यही कारण था कि १९५१ की जनगणना में उन के नाम दर्ज नहीं हो सके । लेकिन आप को मालूम है कि नेहरू लियाकत पक्ट अप्रल, १९४८ में हुआ था और जनगणना १९५१ में हुई थी । इस प्रकार उन को तीन साल मिल गए थे और अगर नेहरू लियाकत पक्ट की पृष्ठभूमि में ही उनको आ कर बसना था तो व इन तीन सालों में आ कर बड़ी आसानी से बस सकते हैं । सचाई यह है कि असम राज्य के कुछ चतुर राजनीतिक खिलाड़ी और उन के अपने समर्थक जो यहां दिल्ली में भी सरकारी बैंचों पर बैठ कर संसद् को दलीलें देते हैं, वे समस्या के ऊपर पर्दा डालते हैं ।

अभी असम के वित्त मंत्री श्री फखरुदीन अली अहमद दिल्ली आए थे और उन्होंने सरकारी आंकड़ों को जो खास तौर से केन्द्रीय सरकार के आंकड़े थे उन के विपरीत मनगढ़ंत आंकड़े देने का यत्न किया था । १४ अगस्त, १९६३ को इस सदन में पहले गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्रीजी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए और असम में पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बताते हुए कहा था कि जुलाई १९६२ से पहले दो और तीन लाख के बीच में उन की संख्या थी और १९६२ से जून १८६३ तक २६,७४२ और वहां आ गए । इनके अपने आंकड़ साढ़े तीन लाख के करीब जा कर बठते थे । वास्तविकता यह है, जैसे सरकार की आदत है कि किसी चीज़ को बचा बचा कर कहना, इस समय उनकी संख्या जो पाकिस्तान से आ कर बस गए हैं सात और दस लाख के बीच में है । लेकिन असम के वित्त और कानून मंत्री श्री फखरुदीन अली अहममद कहते हैं कि यह संख्या केवल डेढ़ लाख है । गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो यहां पर

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

वक्तव्य या जो आंकड़े दिये थे, उस में उन्होंने अपनी दिमागी घोड़े तो नहीं दौड़ाये थे, उन्होंने भी तो अपनी जानकारी के आधार पर ही दिये होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इतने थोड़े से समय में यह संख्या कैसे घट गई और कैसे असम के कानून और वित्त मंत्री ने कह दिया है कि वह घट कर करीब डेढ़ लाख रह गई है ।

प्रधान मंत्री जी से जब पूछा गया तो हमारे प्रधान मंत्री ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश यों की कि शास्त्री जी के आंकड़ों में और असम के वित्त तथा कानून मंत्री के आंकड़ों में असम सरकार के ही आंकड़े सही हो सकने हैं । मैं नहीं जानता कि उन्हीं की कैबिनेट के एक जिम्मेवार मिनिस्टर के अधिकृत आंकड़ों को क्योंकि वे आज मिनिस्टर नहीं हैं, या उस पद पर नहीं हैं, कैसे प्रधान मंत्री कह सकते हैं कि असम के आंकड़े सही हैं और भूतपूर्व गृह मंत्री के आंकड़े सही नहीं हैं ।

इससे तो और भी बहुत सी हानि होने वाली है । मेरा अनुमान यह है कि इस अवैध प्रवेश में केवल पाकिस्तान का ही षड्यंत्र नहीं है, असम राज्य में कुछ चतुर राजनीतिक नेता भी इस में शामिल हैं जो सरकार में इस समय बैठे हुए हैं । उन का इस में अवश्यमेव हाथ है । इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता है ।

जहां तक ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लखनऊ में हुई है । नन्दा जी को स्मरण होगा कि जिस समय ट्रिब्यूनल की स्थापना की घोषणा की गई थी उस समय असम के मुख्य मंत्री श्री चालिहा दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में बीमार थे और असम सरकार के प्रतिनिधि श्री फख़रुद्दीन अली अहमद वहां पर रिजनल काउंसिल में उन के प्रतिनिधि थे जब एक आदमी के उस ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की गई थी, मेरी अपनी जानकारी यह है कि उस समय भी श्री चालिहा दिल्ली में ही थे और नियुक्ति की घोषणा भी उन्हें श्री अहमद के द्वारा हुई । सम्भव है कि अब वह यह कह दें कि मेरी सहमति से यह घोषणा की गई थी । लेकिन यह एक रहस्य है जिस का जानना जरूरी है ।

जब से ट्रिब्यूनल बना है और जो कुछ थोड़े बहुत इस में प्रयत्न हो भी रहे थे उन को हटाने के, इस ट्रिब्यूनल की आड़ में बन्द से हो गये हैं । पुलिस जो थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रही थी, उस ने भी अब अपना ध्यान वहां से हटा लिया है । इस सब का नुक्सान क्या हो सकता है ? असम जो अभी तक भारतवर्ष का एक अंग है, अगर यही स्थिति रही और इस गम्भीर प्रश्न को चिन्ता से न देखा गया तो मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि दस साल के बाद असम भारत सरकार के हाथ में नहीं रह सकेगा । अगर भारत की वर्तमान सरकार इसी उपेक्षा के साथ इस प्रश्न को टालती रही तो यह नतीजा अनिवार्य है । इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि चूंकि असम सरकार इस प्रश्न का समाधान करने में असफल रही है, इसलिए सब से उत्तम तरीका तो यह है कि असम में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए । यदि सरकार असम में राष्ट्रपति का शासन लागू करने से कि कारण हिचकिचाती हो तो दूसरा उत्तर उपाय यह है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यहां से हटाने की जो समस्या है वह असम सरकार के कन्धों पर न डाल कर सोलह आने केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये । तभी असम के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान हो सकता है ।

लेकिन जब यह चर्चा चलती है तो पाकिस्तान उधर से धमका देता है कि

अगर इतनी भारी संख्या में लोगों को निकाला गया तो हम भी पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकाल देंगे । कभी पाकिस्तान कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ, में इस प्रश्न को ले जायेंगे । पाकिस्तान के राजदूत विदेशों में हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि इतनी भारी संख्या में आज मुसलमान असम से निकाले जा रहे हैं । अगर वास्तव में वे पाकिस्तानी थे तो इस में किस का दोष है । क्या उस समय हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट सोई हुई थी कि इतनी भारी संख्या में उन को हिन्दुस्तान के अन्दर चले जाने दिया । वे कहते हैं कि हम वहां के मूल निवासियों को निकाल रहे हैं तो यह उन का आन्दोलन है । उन के प्रोपेगेन्डे से डर कर हमारे प्रधान मंत्री घबरा कर यह कह देते हैं कि लाखों की संख्या में एक साथ लोगों का कैसे निकाला जा सकता है मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही इस पर विचार करना चाहिये । लेकिन कहीं ऐसा न हो, कि प्रधान मंत्री की मानवीय सहानुभूति हिन्दुस्तान के लिये इतना महंगा सौदा पड़े कि अगली पीढ़ी आप को क्षमा न करे । इसलिये इस चीज को सामान्य समझ कर न छोड़िये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की भाषा नहीं समझता । पाकिस्तान उस भाषा को समझता है जिस भाषा को सरदार पटेल बोलते थे । पाकिस्तान को वही भाषा समझ में आती है, पाकिस्तान को नेहरू जी की भाषा समझ में नहीं आती ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो एक संकेत और भी देना चाहता हूं । सन् १९६१ के आंकड़ों के आधार पर, जोकि मेरे हाथ में हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का यह षड्यंत्र केवल असम में जन संख्या बढ़ा कर उस को ही अपने में मिलाने का ही नहीं है । मुसलिम लीग के पुराने स्वप्नों को साकार करने के लिए भारतवर्ष के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सब में ही, खास तौर से जो पाकिस्तान से लगते हुए हैं उन में वह संख्या बढ़ाना चाहता है, इतने विशाल ढंग से और रहस्यात्मक ढंग से बढ़ रही है उस के भी कुछ आंकड़े मैं सुनाना चाहता हूं । लाहोल स्पीती जो सीमावर्ती भाग है, जिसका चीन के साथ हमारा सीमा संघर्ष होने से महत्व और भी बढ़ जाता है, उस में सन् १९५१ की जनगणना में केवल २ मुसलमान थे, और सन् १९६१ की जनगणना में वहां १२१० हो गये । यानी हजारगुने से भी ज्यादा वृद्धि वहां हुई । यह वृद्धि सब से ज्यादा चिन्ता का विषय इसलिए है कि इन १२१० मुसलमानों में स्त्री एक भी नहीं है । जितने भी हैं वे सारे के सारे पुरुष ही हैं । इस से क्या हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इस के पीछे क्या रहस्य है । सिक्किम की जनगणना में १९५१ में वहां केवल १२४ व्यक्ति थे जो मुसलमान थे और १९६१ में यह संख्या बढ़ कर १२०७ हो गई । पाकिस्तान से लगते हुए जो जिले हैं उन में औरतों और पुरुषों का प्रतिशत में कितना अन्तर है, इस के दो ही उदाहरण देना चाहता हूं । शिमले में १,००० के पीछे २११ औरतें हैं और अमृतसर में २१२५ के पीछे केवल २७६ औरतें हैं । पुरुषों की इतनी संख्या की बढ़ोतरी का स्पष्ट परिणाम यह है कि सब उधर से आये हुए लोग हैं जिन्हों ने यहां आ कर देश कीसीमा पर वह षड्यंत्र करना चाहा है जो वह असम के अन्दर करना चाहते हैं ।

राजस्थान के मित्र मेरी इस बात की साक्षी करेंगे कि गंगानगर जिले की तहसील गंगा नगर में जोकि पाकिस्तान से लगी हुई है,

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सन् १९५१ में जहां उन की संख्या २०,००० से कुछ ऊपर थी वहां सन् १९६१ में बढ़ वह कर ३४ हजार से ऊपर पहुंच गई है।

Mr. Deputy-Speaker: We are only concerned with Assam.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वहां ७१.८३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। गंगानगर तहसील में ११७.१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। कर्णपुर और पद्मपुर तहसील में ६४.६३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और रायसिंहनगर और अनूपगढ़ तहसील में २५६.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Mr. Deputy-Speaker: We are only concerned with Assam, not with what happened in Ganganagar.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं असम से ही सम्बन्धित बात कह रहा हूं। पाकिस्तान का इरादा केवल असम में ही षड्यंत्र करने का नहीं है, अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग वही स्थिति है। यह स्थिति बीकानेर में, जेसलमेर में और बाड़मेर में भी है। इसलिये मैं गृह मंत्री नन्दा जी से कहना चाहता हूं कि वह जितने दृढ़ व्रती अपने को कहते हैं उतनी ही दृढ़ता वे इस विषय में भी दिखावें। कहीं ऐसा न हो कि अगली पीढ़ी स्वाधीन भारत की इस वर्तमान सरकार को और साथ साथ इस संसद् को लांछित करे कि हम ने इस प्रश्न को लापरवाही से टाला। यह ही बात मैं इस प्रश्न पर रखना चाहता था।

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, apart from the postponement of the action against these illegal Pakistani infiltrators established by the latest census figures, may I know whether the appointment of this so-called tribunal does not give a certain measure of plausibility to the wild charges levelled against us by Pakistan, that we have pushed them out so far illegally and by force and that over this issue there had been acrimonious discussion and scenes in the Pakistan National Assembly very recently?

Shri Hari Vishnu Kamath: Has the attention of the Home Minister been drawn to a perverse article in the *Times of London* dated the 6th December—this month—wherein India has been charged with evicting Muslims settled in India for generations, evicting them to Pakistan from West Bengal, Tripura and Assam, and, if so, has the Government cared to enquire to what extent this article, and articles of this type are the ugly off spring of malicious Pakistani propaganda, and what measures are being taken to counter this propaganda in foreign countries, in Britain, India's prestige has been damaged and her reputation is at stake on account of this issue?

Shri Liladhar Kotoki (Nowgong): In view of the largeness of the number Pakistani infiltrants yet to be detected, is the Hon. Home Minister considering the need of increasing the number of tribunals adequately enough so as to complete the process of detection as expeditiously as possible?

Shri P. C. Borooah *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: You gave notice after the discussion began. Previous notice has to be given.

Shri P. C. Borooah: It is a very important matter.

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry. I cannot make any exception. The hon. Minister.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): Sir, it is very welcome to me—

श्री कछवाय : शास्त्री जी हिन्दी में बोले हैं इसलिये मंत्री जी को भी हिन्दी में बोलना चाहिये।

श्री नन्दा : मैं तैयार हूं हिन्दी में बोलने के लिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस सवाल पर इस तरह से चर्चा हो रही है क्योंकि इसके बारे में जो कुछ सोचा जा रहा है, जो इसके बारे में एक शक व शुबहा जाहिर किया जा रहा है उसमें कहां तक बुनियाद है कहां तक नहीं है, इसको साफ़ करने का मौका मिले यह एक अच्छी चीज है। मैं जवाब में थोड़े से शब्दों में जो दो तीन पहलू हैं उनके बारे में कुछ कहूंगा।

एक बात है कि स्थिति क्या है, हालात क्या हैं, आंकड़े क्या हैं। दूसरी बात है कि नीति क्या है, पालिसी क्या है। और तीसरी बात कि उसका इम्प्लिमेन्टेशन, उस पर अमल कहां तक हो रहा है, और उसमें जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, वह क्या हैं, और उसमें कुछ त्रुटि है तो क्या है। इसमें एक बात मैं अभी कह दूं। प्रकाशवीर जी ने कहा कि इस वक्त की परिस्थिति में पहले क्या होता। मैं समझता हूं कि अगर वे इस चीज को बारीकी से देखेंगे कि जो कुछ किया जा रहा है उसके बजाय पहले क्या होता, सरदार बल्लभभाई पटल क्या करते, तो मैं समझता हूं कि इसमें जो कुछ आज हो रहा है, वह भी वही करते। इस बारे में मैं बतला दूंगा कि क्यों मैं यह बात कह रहा हूं।

पहली बात तो यह है कि हालात क्या हैं। जब तक यह सेन्सस नहीं हुआ तब तक कोई पक्की, सही जानकारी, जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके थी ही नहीं। कुछ अन्दाजा लगाया जाता था, उसके आधार पर कोई कुछ कह देता था और कोई कुछ कह देता था। जब यह सेन्सस के फिगर्स मेरे पास आये तब मालूम हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि इसमें इतना परसेन्टेज बढ़ गया। तो सेन्सस में जो टोटल इन्क्रीज हुआ वह ३४.४५ परसेन्ट हुआ लेकिन मुसलमानों की जो इन्क्रीज हुई वह तकरीबन ३८ प्रतिशत हुई। यह इन्क्रीज, मुसलिम पापुलेशन के मुकाबले में जो कुल संख्या बढ़ी, वह तकरीबन ३४ परसेन्ट है। इसके ऊपर सारी दलील का जो आधा है वह यह है। आप ८ लाख कहते हैं, ९ लाख कहते हैं, वह किस तरह से कह लेते हैं, इस के लिये तो कोई गुंजाइश नहीं है। इसको और भी बढ़ा कर कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हैं आंकड़े जिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा, फखरुद्दीन साहब ने क्या कहा, हम यहां क्या कह रहे हैं, इसका फैसला करना है। तो उस वक्त सेंसस के इतने ही फिगर थे, रिलीजन वाइज फिगर उस वक्त तक नहीं आए थे। उन पर ही पहले अन्दाजा लगाया गया। उसके बाद जब और आंकड़े आए तो फिर अन्दाजा लगाया गया, कुछ उसमें भी फर्क पड़ा। यह अन्दाजा लगाने का काम बाद को सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा गया जो कि इनकी बारीकियों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, वह समझते हैं कि सेंसस के फिगर्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है। पहले उनका कोई २ लाख ६० हजार का अन्दाजा बना। उसके बाद और आंकड़े आने पर उन्हीं की तरफ से हमको यह जानकारी मिली कि यह संख्या २ लाख २० हजार है। उस गिनती को साइंटिफिक तरीके से इंट्रप्रीट करने के आधार पर यह गिनती मिली। इसमें जो कुछ किया गया उसमें किसी ने कोई चीज अपने दिमाग से निकाल कर नहीं रख दी। इन्हीं आंकड़ों से यह चीज निकली है। मैं नहीं जानता कि फखरुद्दीन साहब ने क्या कहा। इस नतीजे पर इस तरह पहुंचा गया कि जो नेचुरल क्रीज होती हैं, मान लीजिए कि वह २५ परसेंट है या कुछ ज्यादा है, उसका हिसाब लगाने के बाद जितनी संख्या ज्यादा है उसको मान लिया जाता है कि ये इधर उधर से आए हैं, इम्मीग्रेंट हैं।

तो इसमें यह सवाल उठाना बेसूद है कि किसी को इस चीज को छिपाने की जरूरत थी या किसी को इस चीज को दूसरा रूप देने की जरूरत थी। आंकड़ों में अगर फर्क

[श्री नन्दा]

पड़ता है तो उसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि कोई असली चीज को छिपाना चाहता है । इस गिनती को इनडाइरेक्टली कांस्ट्रू करना पड़ता है , इससे फर्क पड़ता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप नहीं असम सरकार छिपा रही है ।

श्री नन्दा : जो कुछ असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है वह **हिन्दुस्तान टाइम्स** में और दूसरे अखबारों में निकला है, उन्होंने भी छिपाया नहीं है । उन्होंने भी वही आंकड़ा दिया है जो मैं आपसे कह रहा हूं, यानी असम गवर्नमेंट ने छिपाया नहीं है । उनकी तरफ से भी यही चीज कही गई है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा ।

श्री नन्दा : मेरे पास भी पेपर कटिंग्स हैं, मैं भी आपको बता सकूंगा । उन्होंने जो फिगर दिया है वह तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता है ।

Shri Hem Barua: What is the figure given by the Chief Minister?

श्री नन्दा : वह फिगर दूसरे कटिंग में होगा । मुझे याद है कि उन्होंने वही इनफारमेशन दी थी जोकि मैं ने कहा है । उन्होंने तकरीबन वही कहा था जोकि मैंने कहा है । ओरिजिनली जो उन्होंने कहा था वह इससे मिलता जुलता था ।

अब सवाल यह उठता है कि करना क्या है, और जो किया जा रहा है क्या वह काफी है, जो हमारी पालिसी है, उसमें कुछ गलती है या कमजोरी है यह देखना है ।

"Mr. Chaliha, Chief Minister of Assam, told the Assembly today that a little less than 3 lakhs of unauthorised persons from Pakistan have come . . ." This is the information which he gave, which means there was no question of minimising it or hiding anything at all.

जो उन्होंने कहा वह उससे कुछ ज्यादा है जो फिगर आज मालूम हुआ है ।

अब पालिसी का सवाल है, नीति का, और यह कि उसमें क्या कमजोरी है । आज यह जिक्र किया गया कि इस काम के लिए एक ट्राइबुनल बनाया गया है ।

पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि हिन्दुस्तान में लोग पासपोर्ट और वीसा ले कर आ सकते हैं । इस के कुछ नियम हैं और कायदे हैं । इस के अलावा किसी को यहां रहने का हक नहीं है । इसमें कुछ सन्देह नहीं है । तो इस चीज की क्या बुनियाद है ? जहां इन नियमों का भंग होता है वहां हमें क्या करना चाहिए ? यह चीज हालात पर निर्भर करती है । असम की एक खास हालत है । उसके मुताबिक नियम बने ।

आज ट्राइबुनल के बारे में सवाल आया कि ट्राइबुनल किस लिए बना । यह बात नहीं है कि यह ट्राइबुनल उन लोगों को साहारा देने के लिए बनाया गया है जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं । ऐसा कहना गलत होगा । जहां तक मैं इस को समझा हूं, और मैं ने ऐसा पटना में कहा भी था, कि जो भी बाहर से आए हैं और जो हिन्दुस्तान के सिटीजन नहीं हैं उनको यहां रहने का हक नहीं है और उनको बाहर जाना होगा । मगर इसमें एक पेचीदगी पैदा हो गयी है । एक सवाल खड़ा कर दिया गया है कि हम उन मुसलमानों को निकाल रहे हैं जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं । हम उनको पाकिस्तानी कह कर निकाल रहे हैं । यह प्रचार शुरू कर दिया गया । हमें इससे डरने

का सवाल नहीं है । लेकिन दूसरे पहल भी हैं, उनको भी समझ लेना चाहिये । आखिर किसी भी नीति के बारे में उसके सारे असरात को देखना तो पड़ता है ।

Shri Hem Barua: Would you please put this very idea in simpler Hindi?

श्री नन्दा : उस नीति का क्या परिणाम होगा इसको भी सोच लेना चाहिये । आखिर हम को एक ही चीज को देखना नहीं है, सारे देश के हित को देखना है । तो हमें सब चीजों को सोच कर चलना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पाकिस्तान का हित न देखिये ।

श्री नन्दा : पाकिस्तान के हित का सवाल बिल्कुल नहीं है, भारत के हित का सवाल है, उस को देखना जरूरी है । अगर इस चीज को आप लेकर चलेंगे तो सारी चीज़ साफ हो जायगी ।

मैं नहीं समझता कि कभी किसी ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों को निकालने का प्रयत्न किया होगा । मगर यह सवाल उठाया गया, और एक डर खड़ा कर दिया गया कि तुम इस तरह से हिन्दुस्तानी मुसलमानों को निकाल रहे हो तो हम भी यह कर डालेंगे वह कर डालेंगे । लेकिन हमारी नीति पर उस डर का असर नहीं है । मगर हम चाहते हैं कि हमारी वह कार्रवाई रुक न जाय । इसलिए हम सारी दुनिया को तसल्ली करा देना चाहते हैं कि जिसको भी हम बाहर भेज रहे हैं वह हिन्दुस्तानी मुसलमान नहीं है । यह नीति का सवाल है और इस दिशा में हम ने जो कदम उठाए हैं वे हमारे लिए अच्छे हैं । अब हम जो कुछ करना चाहते हैं उसको ज्यादा हिम्मत से कर सकेंगे और हमारे दिल में शंका नहीं होगी कि दुनिया हमारे इस कदम का क्या अर्थ लगाएगी ।

उसके साथ सवाल आता है कि हम कितने ही अच्छे इरादे से यह काम करें लेकिन इसका असर क्या होगा । हमें सोचना होगा कि इसका नतीजा क्या होगा । इस काम के लिए एक ट्राइबुनल बनाया गया है । मुझे शंका है कि यह काफी है । वह कितने आदमियों को रोज देख पायेगा । किसी ने कहा कि उसको इस काम में ५० बरस लगेंगे ।

Shri Hem Barua: I have said that.

श्री नन्दा : तो मेरा इसके लिए जवाब है कि इस ट्राइबुनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से बाहर भेजे जाने वालों की गति को नियंत्रित करेंगे । इसमें और कोई पहलू नहीं है । तो यह बात साफ हो गयी कि हमको इस तरह आगे चलना है ।

दूसरी बात जो मैं ने कही वह यह कि रिपरकशन्स का सवाल आता है । यह एक ह्यमैन प्राबलम है । अगर यह सम्भव भी हो तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन डेढ़ लाख आदमियों को एक दिन में निकाल दें । इस के साथ में कई सवाल उठते हैं, कई कठिनाइयां आती हैं । मगर इस का यह मतलब नहीं कि वे जो डेढ़ या दो लाख लोग हैं वे बरसों तक यहां पड़े रहें । हम उन के जाने को सिर्फ रेग्युलेट करना चाहते हैं । यह काम ट्राइबुनल के जरिए किया जायेगा । अगर यह काम एक ट्राइबुनल से नहीं हो सकता है—मैं समझता हूं कि एक ट्राइबुनल क्रिएट कर दी गयी है—तो दो के लिए हमने कह दिया है ।

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): There must be some basis to say whether he is actually an infiltrator or not.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon. Member cannot interrupt like this.

श्री नन्दा : देखिये सब से बड़ा सवाल तो यही है कि आज अगर यह मालूम हो कि ए० बी० सी० डी० जितने भी हैं वह सारे मालूम हैं कि फलांनी जगह के, फलांने आदमी या फ़लाने नाम के हैं तब तो यह

[श्री नन्दा]

मामला बहुत ज्यादा सहल हो जाता है। वह लोग जो आये हैं वे कोई आज के नहीं आ-गये बल्कि काफ़ी वर्षों लगे हैं उन को इधर आने में। उसी क़िस्म की आबादी है बौर्डर पर, उस के अंदर आकर वह मिल गये। अब उस का पहचानना कि यह पांच साल पहले आये हैं या १५ साल से हैं, मुश्किल है। एक ही क़िस्म के आदमी उन्हें परिवरों के अन्दर रहते हैं, उन को मालूम कर लेना, देख लेना, ढूंढ लेना, लिख लेना उस में कठिनाई है। यह चीज़ है जिसके लिए कहा नहीं जा सकता। जैसे भी होगा उस चीज़ को देखेंगे। उस के लिए एक इनक्वायरी कर के जांच कर के पता लगाया गया। उसके बाद फिर यह होता है कि उसको निकालने की बात आती है। एक काम और भी इस में रख दिया गया .

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जो ट्रिब्युनल बैठा है...

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Tyagi (Dehra Dun): The hon. Minister has yielded the floor.

Shri Nanda: I would like to listen, Sir, subject to your discretion.

Mr. Deputy-Speaker: This is a Half-an-hour Discussion.

डा० मा० श्री० अणे : यह जो ट्रिब्यूनल बैठा है उस के सामने कौन तकरार करता है कि इतने पाकिस्तानी लोग उधर से आये हैं ?

श्री नन्दा : मैं यह बतला रहा था कि इस में क्यों यह प्राबलम, समस्या बन कैसे जाती है ? यह कठिनाई पैदा कैसे होती है कि जो लोग आये उन की पहचान नहीं होती कि यह सब लोग हैं जोकि बाहर से आये हैं। उन को पहचानने की बात है। उसके लिए मैं कहूंगा कि वह जो हमारी पालिसी है जो नीति है उस का यह एक अंग बन जाता है। वह मैं बतलाता हूं कि क्या, क्या क़दम उठाये जा सकते हैं और उठाये जायेंगे। यह ट्रिब्यनल की जो बात है उसका मैं बिलकुल साफ़ कर देना चाहता हूं कि इस में यह एक रुकावट नहीं बन जानी चाहिये कि जो काम उन्हें करना है वह उसे कर न सकें। इसलिए वह सवाल होगा संख्या का। हमें इस बात का एक इतमीनान करा देना है और तसल्ली करा देनी है कि कोई भी हिन्दुस्तानी मुसलमान को नहीं निकाला जा रहा है। इतनी बात है।

फिर मैं ने कहा कि उस की पेस रैगुलेट करनी है। उसके लिए हम जांच करते हैं। वह एक की नहीं दो की नहीं बल्कि . .

Shri Hem Barua: Did you push out any Hindustani Muslim?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री नन्दा : मैं ने बिलकुल मंजूर नहीं किया कि करते हैं। चूंकि सवाल उठाया गया है और उस के साथ और चीजें बंधी हुई हैं जिन का हमारे देश के हित के साथ सम्बन्ध है इस लिये उस को ध्यान में लेंगे और चाहेंगे कि उस के लिए भी जवाब पूरा हो जाये । तो यह हमारे लिए अच्छी बात है।

Mr. Deputy-Speaker: The half-an-hour is over.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let him take some more time.

Shri Nanda: I will sit down if you like.

Shri Hari Vishnu Kamath: The House requests you to give him ten more minutes.

Mr. Deputy-Speaker: He may just wind up.

Shri Hari Vishnu Kamath: National interest is involved.

Mr. Deputy-Speaker: May be.

श्री नन्दा : मैं इस को थोड़े में कहे देता हूं । इस ट्रिब्युनल का मतलब यह है कि जिन किसी के बारे में भी कुछ शक हो, उसे वह सब नाम चले जायेंगे । उन के पास कार्यवाही हो जायगी और उस के लिये जितनी भी ज़रूरत उस मशीनरी को बढ़ाने की होगी, बढ़ायी जायगी । इतना ही नहीं दूसरी बात यह है कि चैकपोस्ट्स और पैंट्रोलिंग वग़ैरह के इंतज़ाम को और अधिक विस्तृत और मज़बूत बना दिया गया है । चैक पोस्ट्स और पैंट्रोलिंग के इंतज़ाम को और अधिक बेहतर बनाया जा रहा है लेकिन यह क़रीब ६००मील लम्बी बौर्डर का मामला है और इसलि लोगों को इधर अंदर आने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन तो भी हम अपने उस इंतज़ाम को पक्का कर रहे हैं ताकि और लोग न आ सकें और यह समस्या और अधिक बढ़ न जाय ।

पाकिस्तानी लोगों की इधर हमारी ओर आने का एक सबब यह भी है कि यहां हमारी साइड में काम धंधे हैं इस-लि वे इधर घुस आते हैं । बहरहाल हम इस की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वे लोग हमारे क्षेत्र में घुस कर बैठ न जायें । हम उनको इधर आने से रोकने के लिए पूरा इंतज़ाम अर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसके लिए जो इतना शक, शुबहा और लोगों के दिलों में एक परेशानी हो रही है, उस का इतना कारण नहीं है । मैं समझता हूं कि मौक़े के ऊपर और आज के हालात को देखते हुए जो कुछ हमें करना चाहिए उस को किया जा रहा है ।

श्री हरि विष्ण कामत (होशंगाबाद): मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि पाकिस्तानियों के विद्वेष भरे और विषले प्रचार का निराकरण किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : उसके लिए हम सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ने आज तक जुडिशिएली जितना उस के लिए इन्तजाम किया, यह देख लिया जायेगा कि वे इन्डियन मुसलमान नहीं है । इस से ज्यादा और कोई जवाब नहीं दिया जा सकता ।

17·40 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 21st December, 1963/Agrahayana **30**, 1885 (*Saka*)